न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार, धोद बनाम त्रिलोक सिंह आदि

किस्म मुकदमा प्र.प. धा. 131, 132 LR Act मु.नं. 384 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
17/9/25	प्रकरण मे राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6/ 2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 की पालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1246 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा आवागमन में सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में स्थाई अंकन करने राजस्व ग्राम पुरा छोटी पटवार मण्डल नागवा भू.अ.नि. वृत नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 902/155, 905/154, 908/152, 910/208 में प्रचलित रास्ता का राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नजरी नक्शा रिपोर्ट पत्रादि के साथ प्राप्त हुआ है।

सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्ताव में पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरे वर्तमान में रास्ता हेतु उपयोग में आ रहे है। मौके पर रास्ता चालू है। न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है। प्रस्तावित/प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दिखाया गया है। उक्त प्रस्ताव में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत नेतड़वास की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। रास्ता हेतु रिकॉर्ड में अमल किये जाने बाबत प्रस्तावित है तथा मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम पुरा छोटी पटवार मण्डल नागवा भू.अ.नि. वृत नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 902/155, 905/154, 908/152, 910/208 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में से दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की है।

सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव मय दस्तावेजात से जाहिर है कि राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाकर ही हस्तगत रास्ता के संबंध में तहसीलदार, धोद से प्राप्त उक्त रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। नजरी नक्शा में भी मौके पर वर्तमान में रास्ता चालू होना बताया है। प्रस्ताव पर खातेदारान की सहमति बाबत हस्ताक्षर अंकित है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारों को पूर्व से प्रचलित रास्तों को गै.मु. दर्ज किया जाकर खातेदारान को राहत प्रदान करने की मंशा रखती है। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1246 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा प्रस्तुत अभिशंषित रास्ता [illegible] रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः राज्य सरकार के खातेदारान [illegible] के संबंध में दिये गये आदेशों व निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957

उपखण्ड अधिकारी, धोद (जिला-सीकर (राज.))

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार धोद बनाम त्रिलोक सिंह आदि

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र धा. 121/136 LRA मु.नं. 384 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
	के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1246 दिनांक 08.07.2025 के द्वारा अभिशंषित संलग्न रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर राजस्व ग्राम पुरा छोटी पटवार मण्डल नागवा भू.अ.नि. वृत नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 902/155, 905/154, 908/152, 910/208 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित रकबे के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावें एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1246 दिनांक 08.07.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

"पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा-2025

"पण्डित दीनदयाल उपाध्याय, अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025"

शिविर स्थल पुराछोटी

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021
(एल.आर. एक्ट 1956, की धारा 131 व 132 एवं भू राजस्व अधि. 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के तहत)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
धोद, मु. सीकर।

द्वारा – श्रीमान् तहसीलदार महोदय धोद।
विषयः– रास्तों के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

महोदय,
उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पुराछोटी पटवार मण्डल नागवा तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित एवं प्रचलित सार्वजनिक रास्ता का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	खसरा नं. जिसमें से होकर रास्ता गुजरता है	रकबा	किस्म भूमि	खसरावार रकबा जो रास्ता के काम आ रहा है	नाम खातेदारान्	वि.वि.
1	902/155	0.0200	गा 1	0.0200	ओमप्रकाश पुत्र भलरा राम, तुलछाराम पुत्र भूरा राम, भोला राम पुत्र भलरा राम, डूंगाराम पुत्र मोतीराम, भोलाराम पुत्र भलराराम, भतली पत्नी मोतीराम वगैरह ब्यानदेह [illegible]	
2	905/154	0.0200	गा 2	0.0200	—— " —— "	
3	908/152	0.0200	गा 2	0.0200	—— " —— "	
4	910/208	0.0100	गा 2	0.0100	—— " —— "	
5						
6						
7						
8						
9						
10						

प्रस्तावित / प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में पीला / लाल स्याही से दिखाया गया है, उक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर वास्ते अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

हस्ताक्षर हल्का पटवारी

श्रीमान जी उक्त खसरे वर्तमान में [illegible] है मौके पर रास्ता चालू है [illegible] आवागमन का कोई विकल्प नहीं है अतः उक्त [illegible] समस्त खसरों का [illegible] रास्ता सर्व किया जाना उचित होगा।

ह. पटवारी नागवा

D-525 9/7/25

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक वृत रेवासा

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रचलित सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है रास्ता हेतु रिकॉर्ड में अमल किए जाने बाबत् प्रस्तावित है।

हस्ताक्षर भू.अ.नि. वृत रेवासा

07/7/25

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) धोद

क्रमांकः भू.अ./शिविर/2025/1246.

दिनांकः 8.7.25

प्रस्ताव राजस्व ग्राम [illegible] पटवार मण्डल [illegible] तहसील धोद के ख.नं. 902/155 0.0200, 905/154 0.1200, 908/152 0.0200, 910/208 0.0100 उक्त खसरों का सम्पूर्ण रकबा रास्ता हेतु उपयोग में आ रहा है में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की जाती है।

7/7/25

तहसीलदार (भू.अ.),

तहसीलदार धोद

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी धोद, मु. सीकर

क्रमांकः राजस्व/शिविर/2021/

दिनांकः

प्रेषिति :– तहसीलदार धोद,

मु. सीकर।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सार्वजनिक उपयोग एवं मौके पर चालू व तहसीलदार धोद से अभिशंसित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में पृथक खसरा नम्बर से अंकित किये जाने तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद के आदेश प्रसारित किये जाने हेतु प्राप्त रास्ता प्रस्ताव को, शासन द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(17) राज–6 /2021पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 के अधीन तथा एल.आर. एक्ट 1956, की धारा 131 व 132 एवं भू राजस्व अधि. 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार, राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। प्रस्तावित रास्ता परिपत्र के निर्देशानुसार संबंधित खातेदार के खातेदारी में बना रहेगा तथा रास्ता प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:00:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी धोद,

मु. सीकर

Scanned with OKEN Scanner